शराब छुड़ाने के दौरान 02 युवकों की संदिग्ध दवा पीने से हुई मृत्यु की घटना से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तों को थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.03.2024 को श्री सत्यम्, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में श्री अवधेश कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी के द्वारा उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

गठित पुलिस टीम द्वारा थानास्थानीय अन्तर्गत दिनाँक 10.03.2024 को नशा छुडाने की दवा पिलाने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु होने सम्बन्धी घटना के सम्बन्ध में थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2024 धारा 328/304 भादवि के वांछित अभियुक्तों 1.हरदयाल उर्फ उल्लू पुत्र स्व0 हरजुआ उम्र 75 वर्ष 2. मंगल उर्फ मन हरदयाल उर्फ उल्लू पुत्र स्व0 हरजुआ उम्र 45 वर्ष निवासीगण पावर हाउस के सामने हरिजन बस्ती कस्वा व थाना पनवाडी जनपद महोबा को मुखबिर की सूचना पर एकता ढाबा थाना पनवाडी के पास से हिरासत में लिया गया । हिरासत में लिये गए अभियुक्तों के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त –

1. हरदयाल उर्फ उल्लू पुत्र स्व0 हरजुआ उम्र 75 वर्ष निवासी पावर हाउस के सामने हरिजन बस्ती कस्वा व थाना पनवाडी जनपद महोबा
2. मंगल उर्फ मन हरदयाल उर्फ उल्लू पुत्र स्व0 हरजुआ उम्र 45 वर्ष निवासी पावर हाउस के सामने हरिजन बस्ती कस्वा व थाना पनवाडी जनपद महोबा

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद शीशी 200ML, एक अदद टेट्रा पैक 200ML खाली बरामद हुई

2. एक प्लास्टिक के थैले में अलग अलग प्लास्टिक की थैली में जड़ीबुटी

3. एक शीशी में कुछ मटमैला द्रव्य भरा हुआ बरामद हुआ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र कुमार वर्मा चौकी प्रभारी नगाराघाट थाना पनवाडी जनपद महोबा
2. हे0 का0 विजय सिंह थाना पनवाडी जनपद महोबा
3. का0 आर्यन सिंह थाना पनवाडी जनपद महोबा

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर शराब के ठेकों का किया गया औचक निरीक्षण, दिये गये आवश्यक निर्देश-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आगामी त्यौहारों एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद महोबा में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीमों द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.03.2024 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौंड द्वारा एसडीएम चरखारी तथा थाना चरखारी पुलिस टीम एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के साथ थाना चरखारी क्षेत्रअन्तर्गत संचालित विभिन्न शराब ठेकों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान शराब ठेकों से सम्बन्धित अभिलेखों, स्टॉक एवं गुणवत्ता की जांच की गई। जिसमें स्टॉक मिलान के बाद बोतलों के लेबल चेक किये गये, कुछ दुकानों के अन्दर बैठकर शराब पिलाये जाने की सूचना के क्रम में अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित को दुकान के अंदर शराब न पिलाने की सख्त हिदायत दी गयी।

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण एवं परिवहन की रोकथाम व ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्रीमती हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 12.03.2023 को श्री अवधेश कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त हनीफ पुत्र सुलेमान उम्र 24 वर्ष निवासी बिजरारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को बिजरारी स्कूल से 100 मीटर पहले कौनिया की तरफ मेन रोड के किनारे पर बहद ग्राम बिजरारी थाना पनवाडी से हिरासत में लिया अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गयी। अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पनवाडी में मु0अ0सं0-040/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1 .उ0नि0 राजकुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2. कां. विजय कुमार गौड

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

हनीफ पुत्र सुलेमान उम्र 24 वर्ष निवासी बिजरारी थाना पनवाड़ी जनपद महोबा